संख्या-31/2017/421/22-4-17-50(7नि0)/99टी0सी0

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 25 मई, 2017

विषय- जिला कारागार प्रतापगढ़ एवं गोरखपुर की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु 02-02 नग मोबाईल फोन जैमर स्थापित किये जाने हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-15978/आधु0-1/मो0फो0जै0/2014, दिनांक-18 मई, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जिला कारागार प्रतापगढ़ एवं गोरखपुर की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु 02-02 नग मोबाईल फोन जैमर स्थापित किये जाने हेतु अवशेष धनराशि रू0 89,24,240/- स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-33/2016/257/22-4-16-50(7नि0)/99टी0सी0, दिनांक- 29.03.2016 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु रू0 2,10,38,000/- की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2015-16 में रू0 1,21,13,760/- की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। अत: उक्त स्वीकृति एवं आपके अनुरोध के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जिला कारागार प्रतापगढ़ एवं गोरखपुर की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु 02-02 नग मोबाईल फोन जैमर स्थापित कराने के लिए स्वीकृत लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 89,24,240/- (रूपया नवासी लाख चौबीस हजार दो सौ चालीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(क) उक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत नियमानुसार समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए किया जायेगा।

(ख) इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि0 (ईसीआईएल) द्वारा स्थापित किये जाने वाले जैमरों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक, कारागार उ0प्र0 एवं सम्बन्धित कार्यदायी संस्था का होगा।

(ग) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(घ) जैमरों का क्रय करते समय क्रय सम्बन्धी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(ड़) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.09.2017 तक अनिवार्य रूप से कर लिया जायेगा।

(च) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक खाता तथा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(छ) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका उपयोग/व्यय उसी पर किया जायेगा। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह राजकोष में जमा की जायेगी।

(ज) कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के संपरीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिए जायं।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-14-कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" मद में उपलब्ध बजट प्राविधान से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक- 02.01.2017 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या- 31/2017/421(1)/22-4-17-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) प्रबन्ध निदेशक, इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (ईसीआईएल),बी-2, शापिंग काम्प्लेक्स, रिंग रोड नारायना नई दिल्ली।

(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in